क्रम-संख्या—9

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा अनुभाग—1

संख्या 858/इक्कीस-3 (1)-74

लखनऊ, 30 मार्च, 1974

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 1974) की धारा 272 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस संबंध में समस्त विद्यमान अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उक्त संहिता के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा निम्नलिखित अवधारित करते हैं, अर्थात्—

(1) ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, किसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों तथा आदेशों के संबंध में—हिन्दी (देवनागरी लिपि में);

(2) उपर्युक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में किसी न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों और आदेशों के संबंध में—हिन्दी (देवनागरी लिपि में) और अंग्रेजी;

(3) किसी न्यायालय में निर्णय और आदेशों से भिन्न समस्त कार्यवाहियों के संबंध में हिन्दी (देवनागरी लिपि में)।

आज्ञा से,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।